

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग
शुद्धि पत्र

कृषि विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 5495 दिनांक 15.11.2018 के आलोक में आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के द्वारा निर्गत आवंटन आदेश संख्या- 43/आ0प्र0 दिनांक 06.11.18 की कंडिका-6 को विलोपित करते हुए निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:-

“कृषि विभाग, बिहार के संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा आवंटित राशि की आवश्यकतानुसार निकासी कर लाभार्थी को उपलब्ध करायी जायेगी तथा अवशेष राशि को चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व राज्य सरकार की समेकित निधि में जमा करायी जायेगी। आवंटन के विरुद्ध कृषि विभाग, बिहार द्वारा व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्तीय वर्ष समाप्ति के पूर्व महालेखाकार कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए आपदा प्रबंधन विभाग को उसकी एक प्रति उपलब्ध करायी जायेगी।”

2. उपर्युक्त संशोधन के अतिरिक्त आवंटन आदेश संख्या- 43/आ0प्र0 दिनांक 06.11.18 की शेष कंडिकाओं को यथावत् समझा जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(प्रत्यय अमृत)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक- 52 / आ0प्र0, पटना-15, दिनांक-23.11.18
प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक- 52 / आ0प्र0, पटना-15, दिनांक-23.11.18
प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, पटना / वित्त विभाग(बजट) पटना / मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक- 52 / आ0प्र0, पटना-15, दिनांक-23.11.18
प्रतिलिपि: सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक- 52 / आ0प्र0, पटना-15, दिनांक-23.11.18
प्रतिलिपि: सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक- 52 / आ0प्र0, पटना-15, दिनांक-23.11.18
प्रतिलिपि: माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक- 52 / आ0प्र0, पटना-15, दिनांक-23.11.18
प्रतिलिपि: विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव / विशेष कार्य पदाधिकारी (बजट) / सांख्यिकी पदाधिकारी / प्रशाखा पदाधिकारी (बजट) / कार्यवाह सहायक / आई0टी0 मैनेजर / प्रभारी, राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव